केंद्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है।

हिंदीमूलक पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजनाः-

इस योजना के अंतर्गत हिंदी में लिखे संदर्भग्रंथ, ज्ञान-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज-शास्त्र, संस्कृति तथा किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनूदित पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। **उपन्यास, कथा-साहित्य, नाटक, काव्य की पांडुलिपियाँ तथा शोध-प्रबंध इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं हैं।** यह योजना केवल लेखकों के लिए है; प्रकाशक इसके पात्र नहीं हैं। पांडुलिपि में 100 पृष्ठ या उससे अधिक होना आवश्यक है।

आवेदन की प्रक्रियाः-

आवेदक को विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदन-पत्र संबंधित पांडुलिपि की एक प्रति के साथ इस निदेशालय में 29.02.2020 तक प्रस्तुत करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत पांडुलिपियाँ स्वच्छ रूप से टंकित अथवा सुपाठ्य रूप में लिखी हुई एवं सजिल्द (स्पाईरल या भली प्रकार बंधी हुई) होनी चाहिए। अपठनीय रूप में लिखी हुई एवं बिना जिल्द की हुई पांडुलिपियाँ अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

आवेदन-पत्र के लिए कृपया लिखेंः-

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

विस्तृत विवरण एवं आवेदन-पत्र के लिए हमारी वेबसाइट देखेंः www.chd.mhrd.gov.in
www.chdpublication.mhrd.gov.in

केंद्रीय हिंदी निदेशालय प्रकाशन अनुदान के लिए आवेदन

"हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र"

द्वारा

.....

.....

.....

स्थान:

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली -110066

फोटो

महोदय,

हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मेरी पांडुलिपि .....के प्रकाशन अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत है ।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने योजना के समस्त नियमों को पढ़ लिया है, मैं उन्हें मानने के लिए सहमत हूँ ।

3. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संघ के पंजीकृत ज्ञापन और नियमों के अनुसार आवेदक स्वैच्छिक संगठन के नाम से मुकदमा दायर करने और कराने के लिए सक्षम है ।

4. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि अप्रकाशित है । (पुनर्मुद्रण को छोड़कर) तथा यह कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही जब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से इस मामले का अंतिम निपटान नहीं हो जाता, इसे कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

भवदीय

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

दूरभाष/मोबाइल नं. सहित .....

ई-मेल .....

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : .....

(i) आवेदक की स्थिति व्यक्ति/संगठन/संस्था : .....

(ii) यदि संस्था है तो पंजीकृत है अथवा नहीं : .....

2. (i) पांडुलिपि का नाम : .....

(ii) लेखक का नाम : .....

(iii) पुस्तक का प्रकाशन कितने खंडों/भागों में होगा । : .....

(iv) यदि प्रकाशन कई खंडों/भागों में होना है तो किस खंड/भाग के लिए वित्तीय सहायता मांगी जा रही है । : .....

3. प्रस्तुत प्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय : .....

4. प्रस्तुत आवेदन क्या प्रथम संस्करण के प्रकाशन के संबंध में है या पुनर्मुद्रण के संबंध में है ? यदि यह पुनर्मुद्रण है तो प्रथम संस्करण की तिथि बताएँ । : .....

5. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में आवेदक की स्थिति (लेखक/संपादक/अनुवादक) : .....

6. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में कॉपीराइट किसके पास है ? : .....

7. प्रस्तुत प्रकाशन पर कुल अनुमानित व्यय (रु.....तक सीमित : .....

(i) दुर्लभ पांडुलिपियों की सूचियों/ दुर्लभ पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण हेतु 1100 प्रतियाँ : .....

(ii) अन्य पांडुलिपियों के मुद्रण हेतु 1100 प्रतियाँ : .....

(iii) अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के ई-संस्करण को निदेशालय की वेबसाइट पर आवेदक स्वयं अप-लोड करेंगे । : .....

...2/-

प्रकाशन का विवरण

8. (i) पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित होगी : .....

(ii) पुनर्मुद्रण/अनुवाद/मूल/संपादित : .....

(iii) अनुमानित मुद्रित पृष्ठ (खंड-वार) : .....

(iv) प्रकाशित पुस्तक का अंतिम आकार : .....

(v) मुद्रित प्रतियों की संख्या (1100 प्रतियाँ) : .....

(vi) बहुखंडीय प्रकाशनों में खंडों की संख्या : .....

उत्पादन लागत / व्यय

9. कंपोजिंग, प्रूफरीडिंग व स्कैनिंग : .....

10. टेक्स्ट के मुद्रण की लागत (प्रति फॉर्म) : .....

(सीटीपी या प्रोसेसिंग, प्लेटमेकिंग और प्रिंटिंग सहित) : .....

11. पाठ्य कागज की लागत (मेपलिथो) : .....

12. कवर प्रिंट की लागत : .....

(कागज, लेमिनेशन, डिजाइनिंग, प्लेटमेकिंग व प्रिंटिंग सहित) : .....

13. बाइंडिंग : परफैक्ट बाइंडिंग (1100 प्रतियाँ) : .....

14. पैकिंग व फॉरवर्डिंग व्यय : .....

15. लेखक/संपादक/अनुवादक का मानदेय : .....

16. योजना के अंतर्गत सरकार से अपेक्षित अनुदान राशि : .....

17. स्रोत, जहाँ से शेष राशि की भरपाई की जाएगी : .....

18. क्या आवेदक के पास प्रकाशन के संबंध में समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? : .....

19. अनुदान की प्रथम किश्त के भुगतान पर प्रस्तुत प्रकाशन के लिए अपेक्षित समय (अनुमोदन की स्थिति में) : .....

...3/-

20. संगठन/संस्था की परिसंपत्ति की कीमत : .....

(i) भवन : .....

(ii) फर्नीचर : .....

(iii) उपस्कर : .....

(iv) पुस्तकालय पुस्तकें : .....

(v) कोई अन्य प्रकार : .....

कुल .....

21. विगत पाँच वर्षों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण दें : .....

22. गत पाँच वर्षों में केंद्र, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण दें : .....

(i) वर्ष : .....

(ii) प्राप्त अनुदान की राशि : .....

(iii) उद्देश्य : .....

(iv) संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम : .....

23. क्या इसी उद्देश्य के लिए सरकार से पहले भी वित्तीय सहायता की माँग की गई थी ? यदि हाँ तो परिणाम ? : .....

24. आवेदक की प्रमुख गतिविधियाँ : .....

25. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि की मास्टर कॉपी मेरे (आवेदक के) पास है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बिना कोई कारण बताए मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

भवदीय

हस्ताक्षर ----------

पूरा नाम ----------

पता ----------

दूरभाष/मोबाइल नं. सहित ----------

ई-मेल ----------

...4/-

संलग्नों की सूची:-

1. संबंधित पांडुलिपि की दो प्रतियाँ । कृपया यह ध्यान रखें की पांडुलिपि साफ-साफ टंकित/हस्तलिखित हो तथा सभी पृष्ठ क्रमवार व्यवस्थित रूप से मिले हों।

2. यदि आवेदक स्वयं लेखक नहीं है तो लेखक द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि लेखों का संकलन है तो सभी लेखकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो सह लेखक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

3. यदि आवेदक संस्था है तो पिछले तीन वर्षों के चार्टरित लेखे संलग्न करें।

4. लेखकों को मौलिक लेखन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. आवेदक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के ई-संस्करण को निदेशालय की वेबसाइट पर अप-लोड करेंगे।

नोट - एक बार अनुदान प्राप्त कर लेने पर आवेदक आगामी 5 (पाँच) वर्षों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।